जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 02-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 02.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

छेड़खानी के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 532/19 धारा 354/504 भादवि व 7 / 8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र कैलाश निवासी मोहिद्दीनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

धोखाधड़ी के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/18 धारा 420 भादवि व 138 एन0आई0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता शम्भू कुमार पुत्र अर्जुन शाह निवासी शेरपुर बेसरा थाना विद्यापतिनगर जनपद समस्तीपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता हरिलाल मौर्या पुत्र द्वारिका मौर्या निवासी चिल्हिया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 200 / 19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

मारपीट व छेड़खानी के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/19 धारा 323/354 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 मोबीन पुत्र हदीस निवासी धौरापार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी अधनियम के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त नाम पता – 1 – मूलचन्द गौतम पुत्र हूबलाल निवासी सिकरी थाना धर्मसिंहवा 2 – सामती लाल पुत्र सत्यनरायन निवासी जंगलदशहर थाना बखिरा 3 – परशुराम गौड़ पुत्र रामवेलास निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10 व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 316/19, 317/19 व 318/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वारण्टी

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1 – महबूब पुत्र अब्दुल्ला निवासी धौरहरा 2 – कमलेश चन्द्र मिश्रा पुत्र हरिआनन्द मिश्रा निवासी फरेन्दिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता रामधनी केवट पुत्र सूर्यबली केवट निवासी मदारीजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 7146 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे दो व्यक्तियो के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 05 मिनट में मौके पर पहुचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को पीआरवी से इलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्र मलौली में भर्ती कराया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो की जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ - मुख्य आरक्षी योगेश मणि, आरक्षी अरविन्द तिवारी, हो0चालक रामहित।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन चालान व 79 वाहनो से 83200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 02-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन चालान व 79 वाहनो से 83200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 08 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 02-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 16 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 50 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 02 लड़को से पूछताछ करने के पश्चात उसके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।